कमलेश बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 167/2022 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–14/02/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 167/2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 27/06/2022
निर्णय दिनांक :– 14/02/2025

अनवान

1. कमलेश जोशी पिता शिवलाल जोशी जाति ब्राहमण निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हा0मु0 मकान नम्बर 612 वार्ड नम्बर 19 गली नम्बर 06 टाटानगर, रतलाम(मध्यप्रदेश)

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम काकरोद पटवार हल्का काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 60 आराजी संख्या 609, 621, 630, 644, 645, 656, 657 कुल किता 07 कुल क्षेत्रफल 2.9100 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34 आराजी संख्या 608, 611 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर व खाता संख्या 21 आराजी संख्या 243 रकबा 0.0600 हैक्टेयर व खाता संख्या 31 आराजी संख्या 261, 652, 652, 653, 653 कुल किता 05 कुल क्षैत्रफल 2.300 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 आराजी संख्या 24, 24, 355, 358, 41, 642, 649, 650, 651 कुल किता 09 कुल क्षेत्रफल 3.1000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

भूमि का प्रार्थी खातेदार मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज कास्त हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता शिवलाल दर्ज हैं वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक सही नाम कमलेश पिता शिवलाल है। उक्त राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नाम प्रकाश पिता शिवलाल की जानकारी प्रार्थी को आज दिन पहले नहीं थी। राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का नाम जो गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी परन्तु अभी भूमि की जमाबन्दी निकलवाने पर प्रार्थी को जमाबन्दी में नाम में त्रुटि की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने कम्प्यूटर से ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थी के नाम में त्रुटि हैं और कमलेश पिता शिवलाल के स्थान पर प्रकाश पिता शिवलाल दर्ज हैं जो त्रुटिवश दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सभी दस्तावेजों में नाम कमलेश पिता शिवलाल ही हैं एवं सभी राजकीय एवं अराजकीय कार्य भी इसी नाम से सम्पादित किये जाते है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम की त्रुटि की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचानपत्र एवं अन्य दस्तावेजों में भी कमलेश पिता शिवलाल नाम अंकित है सिर्फ त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम प्रकाश पिता शिवलाल दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम में त्रुटि होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझ प्रार्थी को इस त्रुटी की पूर्व में जानकारी नही थी परन्तु प्रार्थी को अपनी भूमि के दस्तावेजो की जरुरत पडी तो जमाबन्दी संवत् 2076 की नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त जमाबंदी में जो प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता शिवलाल गलत दर्ज है जिसको राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। राजस्व रिकोर्ड मे प्रकाश पिता शिवलाल के स्थान पर **कमलेश पिता शिवलाल किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है**। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहूँचा तो वहॉ पर जानकारी हुई की राजस्व रिकोर्ड में शुद्वि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकोर्ड में दुरस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम **प्रकाश पिता शिवलाल** के स्थान पर **कमलेश पिता शिवलाल** किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का कांकरोद की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि प्रार्थी का मौजा कांकरोद खाता संख्या 60 किता 07 रकबा 2.91 हैक्टेयर, खाता संख्या 34 किता 02 रकबा 007 हैक्टेयर, खाता संख्या 31 कुल किता 05 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर, खाता संख्या 32 कुल किता 09 कुल रकबा 3.10 हैक्टेयर, खाता संख्या 21 कुल 01 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर में प्रकाश पिता शिवलाल सा0 काकरोद दर्ज है। मजमेआम में जानकारी करने पर पाया कि प्रार्थी को ग्राम में प्रकाश के नाम से जाना जाता था। प्रकाश पिता शिवलाल कमलेश पिता शिवलाल एक ही व्यक्ति है। जिसके आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता कार्ड, कक्षा 10 मार्कशीट में कमलेश पिता शिवलाल नाम अंकित है। प्रार्थी के खाते की नकलों में सहखातेदारों द्वारा भी प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता शिवलाल की बजाय कमलेश पिता शिवलाल दर्ज करने में मौके पर मजमेआम में कोई आपत्ति नहीं बताई गई।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

कमलेश बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 167 / 2022 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–14 / 02 / 2025

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता कार्ड, कक्षा 10 की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम कमलेश पिता शिवलाल दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब व पटवारी हल्का काकरोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों(आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, कक्षा 10 की अंकतालिका, पेनकार्ड) पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

कमलेश बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 167 / 2022 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–14 / 02 / 2025

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम काकरोद पटवार हल्का काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 60 आराजी संख्या 609, 621, 630, 644, 645, 656, 657 कुल किता 07 कुल क्षेत्रफल 2.9100 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34 आराजी संख्या 608, 611 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर व खाता संख्या 21 आराजी संख्या 243 रकबा 0.0600 हैक्टेयर व खाता संख्या 31 आराजी संख्या 261, 652, 652, 653, 653 कुल किता 05 कुल क्षेत्रफल 2.300 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 आराजी संख्या 24, 24, 355, 358, 41, 642, 649, 650, 651 कुल किता 09 कुल क्षेत्रफल 3.1000 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता शिवलाल के स्थान पर कमलेश पिता शिवलाल राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14 / 02 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)